


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण/पदस्थापन संशोधन/समायोजन इनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क.स.	नाम अधिकारी	कहाँ से (राउमावि/ राबाउमावि)	जिला	कहाँ को (राउमावि/ राबाउमावि)	जिला
1	पारसमल कोठारी	लसाडिया कोटडी	Bhilwara	धुलखेडा	Bhilwara
2	श्यामलाल खटीक	धुलखेडा	Bhilwara	लसाडिया कोटडी	Bhilwara
3	गौरी जामनानी	बा0 अम्बामाता से बा0 मावली के आदेश पर	udaipur	बा0अम्बामाता	udaipur
4	कुँवरसिंह गुर्जर	रतनपुर बसेडी	dholpur	पावटा-महुआ(01.1.17 से प्रभावी)	dausa
5	सुनीता पुरोहित	खोहल्या अलीगढ	tonk	बा0सिन्दरा-निवाई	tonk
6	अंजू प्रभाकर	बा0सिन्दरा-निवाई	tonk	खोहल्या अलीगढ	tonk
7	नवलकिशोर शर्मा	कावरवास टौंक से लोचू का बास के आदेश पर	tonk	कावरवास	tonk
8	मोहन लाल जाट	लोचू का बास से कावरवास के आदेश पर	jaipur	लोचू का बास जयपुर	jaipur

इन्हे अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 25.10.2016 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना है। कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही शाला दर्पण के माध्यम से ही की जानी सुनिश्चित करें। आर.वी.आर.ई.एस. में नियुक्त अधिकारी शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करेंगे। क.सं. 2 व 6 पर उल्लेखित कार्मिकों को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।


(बी.एल.स्वर्णकार)


आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 20.10.16

कमॉक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्था-समा/2016-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग शासन सचिवालय जयपुर
3. संबंधित उपनिदेशक(प्रारंभिक/माध्यमिक)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-1/II/विधि)
5. संबंधित संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक-कार्मिक